न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

उपस्थित- दुर्ग नरायन सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O.Code – UP5863)

दाण्डिक निगरानी संख्या 111 सन् 2026

CNR No UPGD010012892026

गंगाराम, आयु करीब 62 साल पुत्र लक्ष्मन, निवासी ग्राम खानपुर, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश **..... प्रतिपक्षी।**

निर्णय

1- प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका गंगाराम द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 3811/2025, अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस., थाना- कटरा बाजार, जिला- गोण्डा के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, गोण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.11.2025 के विरूद्ध संस्थित किया गया है, जिसके माध्यम से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थी/ पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर एन.सी.आर. संख्या 228/2025, अन्तर्गत धारा- 115(2), 352, 351(2) BNS पूर्व से पंजीकृत है।

2- सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3- बहस के स्तर पर पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षण याचिका पर बल देने से इनकार किया गया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिसंगत है, प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है, निरस्त किया जाए।

4- प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थना पत्र में अभिकथित घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर एन.सी.आर. संख्या 228/2025 धारा 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. बनाम अनन्तराम, सन्तराम, अजय व रामपाल के विरूद्ध पंजीकृत किया। इसका कोई प्रतिवाद पुनरीक्षणकर्ता की ओर से नहीं किया गया है। चूँकि अभिकथित घटना के सम्बन्ध में एन.सी.आर. थाने पर पूर्व से ही पंजीकृत है, इसलिए उक्त के सम्बन्ध में पृथक मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार ही विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता, अनियमितता नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका बलहीन है, निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी संख्या **111/202, गंगाराम बनाम राज्य,** उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 11.12.2024 पुष्ट किया जाता है। आदेश की एक प्रति अवर न्यायालय को प्रेषित हो।

तदुपरान्त पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: **30.07.2026**

(दुर्ग नरायन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।
आई.डी.नं०- यू०पी० 5863

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक **30.07.2026**

(दुर्ग नरायन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।
आई.डी.नं०- यू०पी० 5863